



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18022026-270252  
CG-DL-W-18022026-270252

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

---

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 8—फरवरी 14, 2026, शनिवार/माघ 19—माघ 25, 1947  
No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 8—FEBRUARY 14, 2026, SATURDAY/MAGHA 19—MAGHA 25, 1947

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

---

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

---

## अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 20.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सहायक (स्तर-4) के समूह 'ग', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
सहायक	512* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500- 81100)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
<p>18 से 28 वर्ष सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए।</p> <p>(केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट)</p> <p><b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि)।</p> <p><b>नोट-2:</b> उन पदों के संबंध में, जिनके लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय(यों) के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम जमा करने के लिए कहा गया है।</p>	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10-बिंदु पैमाने पर 6.32 के सीजीपीए के साथ स्नातक, इस पूर्व-आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के अंदर पूरा किया गया हो; और</p> <p>कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता।</p> <p>द्वि/एकीकृत उपाधि कार्यक्रमों के मामले में:</p> <p>क) यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में अलग-अलग उल्लेख किया गया है, तो स्नातक स्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का निर्धारण के लिए विद्यमान कार्यविधि को अपनाया जाएगा;</p> <p>ख) यदि अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू साझा सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का ही द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेख किया गया है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित अंतिम सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारित करने के लिए आधार माना जाएगा;</p> <p>ग) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्रों में कोई सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू अंतिम/समेकित अंक पत्र के अनुसार समग्र सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारण का आधार माना जाएगा;</p> <p>घ) उपर्युक्त मानदंड समान रूप से लागू होंगे, बिना इस पर ध्यान दिए कि कोई विश्वविद्यालय/संस्था अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निकालने का सूत्र निर्धारित करता है या नहीं;</p> <p>ङ) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में सी.जी.पी.ए. और अंकों की प्रतिशतता दोनों का उल्लेख करता है, तो कम-से-कम एक मानदंड या तो सी.जी.पी.ए. या प्रतिशतता इसरो की पात्रता प्रतिमानकों के अनुरूप होना चाहिए;</p> <p>च) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में केवल सी.जी.पी.ए. का उल्लेख करता है, तो उल्लेखित सी.जी.पी.ए. इसरो के पात्रता मानदंड के अनुरूप ही होना चाहिए। पात्रता निर्धारित करने के लिए सी.जी.पी.ए. को अंकों की प्रतिशतता में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कोई परिवर्तन सूत्र निर्धारित किया गया हो। आवश्यक परिवर्तन सहित यही मानदंड उन मामलों में भी लागू होता है, जहाँ उपाधि प्रमाण-पत्र/समेकित अंक-पत्र पर केवल अंकों की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है।</p>

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
लागू नहीं	<p>समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं:</p> <p>1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र. : अध्यक्ष</p> <p>2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</p> <p>3 वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य</p> <p>4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</p> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-1]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

**DEPARTMENT OF SPACE/ INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION**

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 20.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Assistant (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Assistant Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Assistant</b>	512* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
<p>18 to 28 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note-2:</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p>Graduation with minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by a recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University; and</p> <p>Proficiency in the use of Computers.</p> <p>In case of Dual/Integrated Degree programmes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Where a CGPA/Percentage for Graduation and Post-Graduation is mentioned separately in the Dual/Integrated Degree Certificate existing procedure for reckoning CGPA/percentage of the graduation level shall be reckoned;</li> <li>Where a common CGPA/ percentage applicable for the entire course of study is only mentioned in the Dual/Integrated Degree Certificate, final CGPA/ percentage as mentioned in the Dual/Integrated degree Certificate as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility;</li> <li>Where a University does not prescribe any CGPA/percentage in Dual/Integrated Degree certificates, the cumulative CGPA/percentage as per Final / Consolidated Mark Sheet, as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility;</li> <li>The above criteria will apply uniformly regardless of whether or not a University/Institution prescribes a formula to derive the CGPA/percentage for Graduation/ Post Graduation in its Dual / Integrated Degree certificate;</li> <li>Where a University mentions both CGPA and percentage of marks in Degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then at least one criteria i.e., either CGPA or percentage of marks should meet ISRO's eligibility norms;</li> <li>Where a University mentions only CGPA in degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then the CGPA so mentioned should necessarily meet ISRO's eligibility criteria. Conversion of CGPA into percentage of marks is not permitted to determine eligibility, regardless of whether any conversion formula is prescribed by the University/ Institution concerned. The same criteria apply mutatis mutandis in cases where only percentage of marks is mentioned in the Degree Certificate / Consolidated Mark-sheet.</li> </ol>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of: 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt.Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 21.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ सहायक (स्तर-6) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ सहायक	457* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400- 112400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में सहायक, जिन्होंने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की	लागू नहीं

<p>हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> स्तर-6 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा, स्तर-4 में नियमित आधार पर फीडर पद, यानी सहायक के पदधारियों पर इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से चार (4) वर्ष ही रहेगी।</p> <p><b>नोट-2:</b> विज्ञापन सं. इसरो: आई.सी. आर.बी. :02(ए-जे.पी.ए.):2022 दिनांक 20.12.2022 के प्रति तैयार किए गए वर्तमान पैनल में चयनित सहायक चार (4) वर्षों में स्तर-6 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।</p> <p><b>नोट-3:</b> जहां कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों की भांति अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ होंगे, बशर्ते वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हों तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हों। विगत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(i) <u>अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदधारियों में से:</u></p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 पर नियमित आधार पर</p>	<p>अनुपस्थिति में)</p> <p>2 वरि. प्रधान / प्रधान, : सदस्य का. व सा.प्र.</p> <p>3 वरि. लेखा अधिकारी/अं.वि.स. : सदस्य</p> <p>4 वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य</p> <p>5 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य</p>	
---	---	--

<p>समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>ii) केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के पदधारी:</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो।</p> <p>a) <b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p>b) <b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>c) <b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-1]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 21.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted posts of Senior Assistant (Level-6), in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Assistant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;  
**OR**  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Assistant	457* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) By promotion:</b></p> <p>Assistant in Level-4 in the Pay Matrix, with 5 years' of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> The eligibility service for promotion to the post of Senior Assistant in Level-6 shall continue to be Four (4) years for persons holding the feeder post i.e. Assistant in Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Note-2:</b> Assistant selected in the current panel drawn against advt. No. ISRO:ICRB:02(A-JPA):2022 dated 20.12.2022 will be eligible for consideration for promotion to Senior Assistant (Level-6) in 4 years.</p> <p><b>Note-3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.) /Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chair-person</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	<p>Not Applicable</p>

<p>(ii) <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u></p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p>d) <b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 22.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सहायक कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;  
**या**  
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
सहायक कार्यालय अधीक्षक	292* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹ 44900 - 142400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: वरिष्ठ सहायक (स्तर-6), जिन्होंने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में)	लागू नहीं

<p><b>नोट-1:</b> एक बार के ब्रूट के रूप में, 5 साल की सेवाकालीन अवधि वाले मौजूदा वरिष्ठ सहायकों (स्तर-6) को तत्काल कार्यान्वयन के लिए लिखित परीक्षा के बिना सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, 01.07.2026 से समीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(i) अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) में पदधारियों में से:</p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>ii) केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के समूह-ख के पदधारी:</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	<p>2 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र. : सदस्य</p> <p>3 वरि. लेखा अधिकारी/अं.वि.स. : सदस्य</p> <p>4 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</p> <p>5 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य</p>	
---	--	--

[फा. सं. ए. 26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 22.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Assistant Office Superintendent (Level-7) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Assistant Office Superintendent Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Assistant Office Superintendent	292* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-7 (Rs. 44900 - 142400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) By promotion</b> Senior Assistants (Level-6) with 5 years' of regular service in the post. <b>Note-1:</b> As a onetime dispensation, existing Senior Assistants (Level-6) with 5 years' residency period will be considered for promotion to Assistant Office Superintendent (Level-7) without written test for immediate implementation. However, qualifying in Written Test is mandatory for those who are eligible for review from 01.07.2026 onwards.</p> <p><b>b) Deputation:</b> (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix. (ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u> (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.)/Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson</li> <li>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</li> <li>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</li> <li>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>5 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member</li> </ol>	Not Applicable

<p>service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	
--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 23.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यालय अधीक्षक (स्तर-8) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;  
**या**  
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,  
किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
कार्यालय अधीक्षक	248* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹ 47600 – 151100)  (ii) कार्यालय अधीक्षक के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर-9 में गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड।	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: सहायक कार्यालय अधीक्षकों (स्तर-7) ने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं:  1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष	लागू नहीं

<p><b>नोट-1:</b> वे सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7), जिन्हें लिखित परीक्षा से झूट दी गई थी, वरिष्ठ सहायक (स्तर-6) और सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7) में न्यूनतम एक (1) वर्ष की सेवा के साथ 6 वर्ष की संयुक्त सेवाकालीन अवधि के साथ निर्धारित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कार्यालय अधीक्षक (स्तर-8) के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> स्तर-9 में एनएफएसजी के साथ/बिना स्तर-8 में मौजूदा वरिष्ठ परियोजना सहायकों को स्तर-8 में कार्यालय अधीक्षक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। वरिष्ठ परियोजना सहायक के रूप में प्रदान की गई सेवा को कार्यालय अधीक्षक के रूप में माना जाएगा और इस पुनः पदनाम के कारण कोई अतिरिक्त एनएफएसजी नहीं होगा।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(i) <u>अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदधारियों में से:</u></p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>ii) <u>केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के समूह-ख के पदधारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन</p>	<p>2 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा.प्र. <input type="checkbox"/> सदस्य</p> <p>3 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</p> <p>4 वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य</p> <p>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	
--	---	--

<p>समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 23.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Office Superintendent (Level-8), in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Office Superintendent Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Office Superintendent	248* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Gazetted)	(iii) Level-8 (Rs.47600– 151100) in the Pay Matrix.  (iv) Non-Functional Selection Grade in Level-9 on completion of 4 years of regular service in the post of Office Superintendent.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) By promotion:</b> Assistant Office Superintendents (Level-7) with 5 years' of regular service in the post. <b>Note-1:</b> Those Assistant Office Superintendents (Level-7), who are/were exempted from written test, will be considered for Office Superintendent (Level-8), on completion of minimum One (1) year service, with combined residency period of 6 years' service in Senior Assistant (Level-6) and Assistant Office Superintendent (Level-7)</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Chief Controller/Controller/Director (A.S.)/Head (A.S.)/Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chair-person</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	Not Applicable

<p>duly qualifying the prescribed written test.</p> <p><b>Note-2:</b> Existing Senior Project Assistants in Level-8 with/without NFSG in Level-9 will be re-designated as Office Superintendent in Level-8. The service rendered as Senior Project Assistant will be reckoned as Office Superintendent and there will not be any additional NFSG on account of this re-designation.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix.</p> <p>(ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 24.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता - कोई भी ऐसा व्यक्ति,  
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक (जे.पी.ए.)	178* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (₹ 25500-81100)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
<b>6</b>	<b>7</b>
<p>सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 28 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)।</p> <p><b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p><b>नोट-2:</b> जिन पदों के संबंध में नियुक्ति, जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय(यों) से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।</p>	<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों अथवा 10-प्वाइंट स्केल पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ स्नातक, साथ ही इस पूर्व निर्धारित शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूर्ण किया गया हो;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक/सचिवालयीन कार्य में कम-से-कम 60% अंकों अथवा 10-प्वाइंट स्केल पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ डिप्लोमा, साथ ही इस पूर्व निर्धारित शर्त के साथ कि डिप्लोमा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूर्ण किया गया हो तथा अभ्यर्थी के पास आशु-टंकक/ आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो;</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>अंग्रेजी आशुलिपि में 60 श.प्र.मि. की न्यूनतम गति और कम्प्यूटर के प्रयोग में प्रवीणता</p> <p>द्वि/समेकित डिग्री पाठ्यक्रम की स्थिति में:</p> <p>क) जहाँ स्नातक तथा परास्नातक का सी.जी.पी.ए./प्रतिशत, द्वि/समेकित डिग्री प्रमाण पत्र में अलग-अलग दिखाए गए हैं, स्नातक स्तर के सी.जी.पी.ए./प्रतिशत की गणना वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;</p> <p>ख) जहाँ पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू एक समान सी.जी.पी.ए./प्रतिशत केवल द्वि/समेकित डिग्री प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है, वहाँ अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू द्वि/समेकित उपाधि प्रमाण-पत्र में दर्शायी अंतिम सी.जी.पी.ए./ प्रतिशतता को ही पात्रता निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा;</p> <p>ग) जहाँ विश्वविद्यालय अपने द्वि/समेकित उपाधि प्रमाण-पत्रों में सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता, वहाँ अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू अंतिम/समेकित अंक-पत्र के अनुसार संपूर्ण सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को ही पात्रता निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा;</p> <p>घ) उपर्युक्त मानदंड समान रूप से लागू होगा, भले ही विश्वविद्यालय/संस्थान स्नातक/स्नात्कोत्तर के लिए अपने द्वि/समेकित उपाधि प्रमाण-पत्र में सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निकालने का कोई सूत्र निर्धारित करता है या नहीं;</p> <p>ङ) जहाँ विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक-पत्र में सी.जी.पी.ए. और अंक दोनों का उल्लेख करता है, तो कम-से-कम एक मानदंड या तो सी.जी.पी.ए. या प्रतिशतता अं.वि./इसरो के पात्रता मानदंडों के अनुरूप हो;</p> <p>च) जहाँ विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक-पत्र में केवल सी.जी.पी.ए. का उल्लेख करता है, तो इस प्रकार उल्लेखित सी.जी.पी.ए. आवश्यक रूप से इसरो के पात्रता मानदंड</p>

	के अनुरूप हो। पात्रता निर्धारित करने के लिए सी.जी.पी.ए. का अंक प्रतिशत में रूपांतरित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा रूपांतरण सूत्र दिया गया हो। यही मानदंड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन मामलों में भी लागू होता है, जहाँ उपाधि प्रमाण-पत्र/ समेकित अंक-पत्र में केवल अंक प्रतिशत दर्शाया गया है।
--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 24.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Junior Personal Assistant (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Junior Personal Assistant Recruitment Rules, 2025.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Junior Personal Assistant (JPA)</b>	178* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 28 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or	Graduation with minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by a recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University; OR Diploma in Commercial/Secretarial Practice with Minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by a recognized Board/University, with pre-requisite conditions that Diploma should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University and candidate must possess

<p>Lakshadweep).</p> <p><b>Note-2:</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p>One-year experience as Steno-Typist/Stenographer; AND A minimum speed of 60 w.p.m. in English Stenography and proficiency in the use of Computers.</p> <p>In case of Dual/Integrated Degree programmes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Where a CGPA/Percentage for Graduation and Post-Graduation is mentioned separately in the Dual/Integrated Degree Certificate existing procedure for reckoning CGPA/percentage of the graduation level shall be reckoned;</li> <li>b) Where a common CGPA/ percentage applicable for the entire course of study is only mentioned in the Dual/Integrated Degree Certificate, final CGPA/ percentage as mentioned in the Dual/Integrated degree Certificate as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility;</li> <li>c) Where a University does not prescribe any CGPA/percentage in Dual/Integrated Degree certificates, the cumulative CGPA/percentage as per Final / Consolidated Mark Sheet, as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility;</li> <li>d) The above criteria will apply uniformly regardless of whether or not a University/Institution prescribes a formula to derive the CGPA/percentage for Graduation/ Post Graduation in its Dual / Integrated Degree certificate;</li> <li>e) Where a University mentions both CGPA and percentage of marks in Degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then at least one criteria i.e., either CGPA or percentage of marks should meet ISRO's eligibility norms;</li> <li>f) Where a University mentions only CGPA in degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then the CGPA so mentioned should necessarily meet ISRO's eligibility criteria. Conversion of CGPA into percentage of marks is not permitted to determine eligibility, regardless of whether any conversion formula is prescribed by the University/ Institution concerned. The same criteria apply mutatis mutandis in cases where only percentage of marks is mentioned in the Degree Certificate / Consolidated Mark-sheet.</li> </ol>
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson	Not Applicable

	2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member	
	3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member	
	4 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/ Minority)	

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 25.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैयक्तिक सहायक (स्तर-6) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. लघु शीर्षक और आरंभ – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वैयक्तिक सहायक (पी.ए.)	119* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹ 35400- 112400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> स्तर-6 में वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा, स्तर-4 में नियमित आधार पर फीडर पद, यानी कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदधारियों पर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर चार (4) वर्ष ही रहेगी।</p> <p><b>नोट-2:</b> विज्ञापन सं. ISRO: ICRB : 02(A-JPA) : 2022 दिनांक</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में)</li> <li>वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा.प्र. : सदस्य</li> <li>वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य</li> <li>अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</li> </ol> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

20.12.2022 के प्रति तैयार किए गए वर्तमान पैनल में चयनित कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक चार (4) वर्षों में स्तर-6 में वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

**नोट-3:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अविधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

**ख) प्रतिनियुक्ति:**

(i) अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) में पदधारियों में से:

ख) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या

ग) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।

ii) केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के पदधारी:

क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या

ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो।

**नोट-1:** प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।

<p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 25.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Personal Assistant (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Personal Assistant Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Personal Assistant (PA)	119* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam By Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) By promotion:</b></p> <p>Junior Personal Assistants in Level-4 in the Pay Matrix, with 5 years' of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> The eligibility service for promotion to the post of Personal Assistant in Level-6 shall continue to be Four (4) years for persons holding the feeder post i.e., Junior Personal Assistant with Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Note-2:</b> Junior Personal Assistant selected in the current panel drawn against Advt. No.ISRO:ICRB:02 (A-JPA):2022 dated 20.12.2022 will be eligible for promotion to Personal Assistant in Level-6 in four (4) years.</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Chief Controller / : Chair-Controller / person Director(A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above)</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	Not Applicable

**Note-3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.

**b) Deputation:**

(i) From amongst the Officials in Department of Space (DOS):

a) holding the analogous post on regular basis; or

b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix

ii) Officials from Central Services under the Central Government:

a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.

**Note-1:** The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.

**Note-2:** Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**Note-3:** Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 26.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) के समूह 'ख', राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैयक्तिक सचिव भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वैयक्तिक सचिव (पी.एस.)	94* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (राजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹ 47600 - 151100) (ii) वैयक्तिक सचिव के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर स्तर-9 में	चयन

	पर	गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड।	
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	
6	7	8	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>पद में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वैयक्तिक सहायक (स्तर-6)</p> <p><b>नोट-1:</b> एक बार की व्यवस्था के रूप में, स्तर-6 में 5 वर्ष की सेवाकालीन अवधि वाले मौजूदा वैयक्तिक सहायकों को 100% वरिष्ठता के आधार पर वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> स्तर-9 में एन.एफ.एस.जी. के साथ/उसके बिना मौजूदा परियोजना वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) को वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) या (स्तर-9), जैसा भी मामला हो, के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(i) अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदधारियों में से:</p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पद</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक/ निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में)</li> <li>वरि. प्रधान/प्रधान, का. व सा. प्र.</li> <li>वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स.</li> <li>वरि. क्रय एवं भण्डार अधिकारी</li> <li>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग /अल्पसंख्यक)</li> </ol>	लागू नहीं

<p>धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद दस वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ख के पदधारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद दस साल की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र उम्मीदवारों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	
---	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 26.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Personal Secretary (Level-8), in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Personal Secretary Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;  
**OR**  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Personal Secretary (PS)</b>	94* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Gazetted)	(i) Level-8 (Rs. 47600– 151100) in the Pay Matrix  (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-9 on completion of 4 years regular service in the post of Personal Secretary.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam By Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<b>a) By promotion:</b> Personal Assistants (Level-6) with 10 years' of regular service in the post.	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller / : Chairperson Controller/ Director (A.S.) / Head (A.S.) / Appointing	Not Applicable

<p><b>Note-1:</b> As a one-time dispensation, existing Personal Assistants in Level-6 with 5 years' residency period will be considered for Personal Secretary (Level-8) on 100% seniority basis</p> <p><b>Note-2:</b> Existing Project Personal Secretary (Level-8) with/without NFSG in Level-9 will be re-designated as Personal Secretary (Level-8) or (Level-9) as the case may be.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with ten years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix</p> <p>ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with ten years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	<p>Authority(in the absence of any one of the above)</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 27.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में रसोइया-ए (स्तर-2) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रसोइया-ए. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** - ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

#### अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
रसोइया-ए	31*	सामान्य केंद्रीय सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2	लागू नहीं

	* (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	(रु. 19900- 63200)	
--	---	-----------------------------	--------------------	--

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
<p>सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)।</p> <p><b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p><b>नोट-2:</b> उन पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।</p>	<p>मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/एस.एस.सी./एस.एस.एल.सी./10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ-साथ किसी सुस्थापित होटल/कैंटीन में समान क्षमता (रसोइया के रूप में) में 5 वर्षों का अनुभव।</p>

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	<p>समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष</li> <li>2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला /</li> </ol>	लागू नहीं

	दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	
--	------------------------	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 27.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Cook-A (Level-2) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Cook-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Cook-A</b>	31* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix	Not Applicable

<b>Age limit for direct recruits</b>	<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>
--------------------------------------	--

6	7
<p>18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note-2:</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.</p>	<p>Matriculation/SSC/SSLC/10<sup>th</sup> class pass from a recognized Board or equivalent with 5 years' experience in similar capacity (as Cook) in a well-established Hotel/Canteen.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	<p>Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of :</p> <p>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</p> <p>2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>4 Catering Manager/ Assistant : Member Catering Manager</p> <p>5 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/ Minority)</p>	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 28.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में रसोइया-बी (स्तर-3) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रसोइया-बी भर्ती नियम, 2025

कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
रसोइया-बी	30* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (₹ 21700- 69100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में रसोइया-ए पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी।</p> <p><b>नोट-1:</b> वर्तमान रसोइया (स्तर-2) को रसोइया-ए (स्तर-2) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है तथा एक बार छूट के रूप में, दिनांक 01.07.2025 तक 03 वर्षों की सेवाकालीन अवधि वाले वर्तमान रसोइया (स्तर-2) के लिए समीक्षा की जाएगी और उन्हें बिना कौशल परीक्षा के तत्काल प्रभाव से स्तर-3 में रसोइया-बी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> जहाँ कनिष्ठ कर्मचारी अपनी अर्हता सेवा पूर्ण करने के बाद पदोन्नति के लिए विचाराधीन है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण की हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो। पूर्व के मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी या</p> <p>ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिममें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 व. प्रधान/ प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष</li> <li>2 व.लेखा अधिकारी/ आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</li> </ol>	लागू नहीं

<p>पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 28.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Cook-B (Level-3) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Cook - B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Cook-B	30* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted)	Level - 3 (Rs. 21700-69100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>(a) By promotion:</b></p> <p>Cook-A in Level-2 in the Pay Matrix, with 3 years' of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> Existing Cook (Level-2) is re-designated as Cook-A (Level-2) and, as a one-time dispensation, existing Cook in Level-2 with minimum 3 years residency period as on 01.07.2025 Review will be considered for promotion to Cook-B in Level-3 for forthwith implementation without skill test.</p> <p><b>Note-2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</p> <p>2 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member</p> <p>3 Sr. Purchase &amp; Stores Office : Member</p> <p>4 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member</p>	Not Applicable

<p>qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p><b>(b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with three years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 29.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में प्रधान रसोइया (स्तर-4) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, प्रधान रसोइया भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

#### अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
प्रधान रसोइया	28* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500- 81100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b> रसोइया-बी (स्तर-3) पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी।</p> <p><b>नोट-1:</b> एक बार छूट के रूप में, रसोइया-ए (स्तर-2) एवं रसोइया-बी (स्तर-3) पद पर 8 वर्ष की सेवा अवधि वाले रसोइया, जिन्होंने रसोइया-बी के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सेवा की है, प्रधान रसोइया (स्तर-4) पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b> <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष</li> <li>2 व. लेखा अधिकारी/अं.वि.स. : सदस्य</li> <li>3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 केटरिंग प्रबंधक/ सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</li> </ol> <p>(अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</p>	<p>लागू नहीं</p>

उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th December, 2025

**G.S.R. 29.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Head Cook (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Head Cook Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;  
**OR**  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Head Cook</b>	28* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>(a) By promotion:</b></p> <p>Cook-B (Level-3) with 5 years' of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> As a one-time dispensation, Cook with combined residency period of 8 years in Cook-A (Level-2) and Cook-B (Level-3) with minimum of 1 year regular service in Cook-B will be considered for Head Cook (Level-4).</p> <p><b>(b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-3 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</li> <li>2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</li> <li>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>4 Catering Manager/ Assistant : Member Catering Manager</li> <li>5 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority)</li> </ol>	<p>Not Applicable</p>

more years with due procedure.		
--------------------------------	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 30.—** संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **प्रयोज्यता** - ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में दिये अनुसार होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उसके संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिये अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिये अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

**अथवा**

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
-----------	----------------	----------	-------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5
वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए	25* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200-92300)	गैर-चयन
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे		
6	7	8		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b> प्रधान रसोइया (स्तर-4) पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। <b>नोट-1:</b> वर्तमान परियोजना रसोइया (स्तर-5) को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है तथा परियोजना रसोइया (स्तर-5) के रूप में की गई सेवा को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए के रूप में माना जाएगा। <b>नोट-2:</b> एक बार छूट के रूप में, दिनांक 01.07.2025 तक न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा अवधि वाले वर्तमान प्रधान रसोइया (स्तर-4) के लिए समीक्षा की जाएगी और उन्हें बिना कौशल परीक्षण के आगे के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिममें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र.</li> <li>2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य</li> <li>5 आवश्यक प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</li> </ol>	लागू नहीं

<p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारित; या</p> <p>बी) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 30.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Head Cook-A (Level-5) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Head Cook-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Head Cook-A	25* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level -5 (Rs. 29200 – 92300) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>(a) By promotion:</b> Head Cook (Level-4) with 5 years' of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> Existing Project Cook (Level-5) is re-designated as Senior Head Cook-A (Level-5), and service rendered in the post of Project Cook (Level-5) shall be reckoned as Senior Head Cook – A.</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</p> <p>2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>4 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member</p>	Not Applicable

<p><b>Note-2:</b> As a one-time dispensation, existing Head Cook (Level-4) with minimum 5 years residency period as on 01.07.2025 Review will be considered for Senior Head Cook-A (Level-5) for forthwith implementation without skill test.</p> <p><b>(b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department;</p> <p>or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	<p>5 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/Minority)</p>	
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 31.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी (स्तर-6) के समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ -** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता -** ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

#### अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वर्शते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी	25*	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	गैर-चयन
	*(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर			

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे
----------------------------	--	--

6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b> वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। <b>नोट-1:</b> वर्तमान में स्तर-6 में वरिष्ठ परियोजना रसोइया को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है तथा एक बार छूट के रूप में, न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्तर-5 में परियोजना रसोइया/वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए के साथ स्तर-5 में परियोजना रसोइया/स्तर-5 में वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए के साथ-साथ स्तर-4 में प्रधान रसोइया के रूप में 6 वर्षों की संयुक्त सेवा को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी (स्तर-6) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b> <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी के भी उपस्थित न रहने पर)</li> <li>2 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य</li> <li>3 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>4 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>5 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य</li> <li>6 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

<p>कर्मचारी;</p> <p>या</p> <p>ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।</p>	
--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 31.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Head Cook-B (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Head Cook-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** -The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any

class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Head Cook-B	25* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400 – 112400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>(a) Promotion</b></p> <p>Senior Head Cook-A (Level-5) with 6 years' of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> Existing Senior Project Cook in Level-6 is re-designated as Senior Head Cook-B, and as a one-time dispensation, combined service of 6 years in Head Cook in Level-4 along with Project Cook in Level-5/ Senior Head Cook-A in Level-5 with a</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above) : Chairperson</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>5 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member</p>	Not Applicable

<p>minimum 1 year regular service in Project Cook / Senior Head Cook-A in Level-5 will be considered for Senior Head Cook-B (Level-6).</p> <p><b>(b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure</p>	<p>6 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women / PWD/Minority)</p>	
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 32.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में लघु वाहन चालक-ए (स्तर-2) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

1. **लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लघु वाहन चालक- ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता –** कोई भी ऐसा व्यक्ति,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
लघु वाहन चालक-ए (एल.वी.डी.-ए)	90* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (₹ 19900-63200)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 40 वर्ष तक छूट) <b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश)	मैट्रिकुलेशन/एस.एस.एल.सी./एस.एस.सी. या समकक्ष तथा लघु वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। <b>अनुभव:</b> लघु वाहन चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। <b>नोट-1:</b> अभ्यर्थी के द्वारा पद पर कार्य-ग्रहण के बाद तीन माह के अंदर संबंधित राज्य, जहां अभ्यर्थी नियुक्त है, के मोटर वाहन अधिनियम की किसी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। <b>नोट-2:</b> कुल निर्दिष्ट अनुभव वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए।

<p>के चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p><b>नोट-2:</b> पदों के संबंध में, जो नियुक्तियां रोजगार कार्यालय(यों) के माध्यम से की जाती हैं, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि वही होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख निर्धारित की जाती है।</p>	<p><b>नोट-3:</b> अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी / अर्धसरकारी एजेंसियों / पंजीकृत कंपनियों / समितियों / न्यासों इत्यादि का ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।</p> <p><b>नोट-4:</b> अनुभव वर्षों की गणना करने में अंशकालिक अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-5:</b> यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवश्यक अर्हता, अनुभव व लोक सेवा बैज, यदि आवश्यक हो, होना चाहिए।</p>
--	---

<p>क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।</p>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए</p>	<p>यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए</p>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
लागू नहीं	<p>समूह 'ग' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं:</p> <p>1 वरि. प्रधान/प्रधान, का.एवं सा.प्र. : अध्यक्ष</p> <p>2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स : सदस्य</p> <p>3 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</p> <p>4 परिवहन प्रभारी : सदस्य</p> <p>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 32.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Light Vehicle Driver-A (Level-2) in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Light Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Light Vehicle Driver-A (LVD-A)</b>	90* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-2 (Rs. 19900- 63200) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 35 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal	Matriculation/SSLC/SSC or equivalent and must possess a valid Driving License for light vehicles. <b>Experience:</b> 3 years' experience as Light Vehicle Driver. <b>Note-1:</b> Any other requirement of the Motor Vehicle Act of the concerned State in which the candidate is posted should be met within 3 months after the candidate joins the post. <b>Note-2:</b> Total prescribed experience should be after obtaining valid Driving License. <b>Note-3:</b> Experience Certificate should only be from the Government / Semi-Government Agencies / Registered Companies / Societies / Trusts, etc. Experience Certificate from individuals will not be accepted.

Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<b>Note-4:</b> Part time experience will not be considered for calculation of number of years of experience
<b>Note-2:</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.	<b>Note-5:</b> It is mandatory that the candidate should possess the requisite qualification, experience and Public Service Badge, if required, as on the last date of the application.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One Year	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/ Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives (SC/ ST/Women/PWD/ Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 33.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ- (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लघु वाहन चालक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन

मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति,  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
लघु वाहन चालक-बी (एल.वी.डी.-बी)	90* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10

शून्य	पदोन्नति से (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में लघु वाहन चालक-ए पद में न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p><b>नोट-1:</b> स्तर-4 में लघु वाहन चालक-बी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा फीडर पद अर्थात् नियमित आधार पर स्तर-2 में लघु वाहन चालक- ए धारण करने वाले कर्मचारियों के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पांच (5) वर्ष जारी रहेगी।</p> <p><b>नोट-2:</b> जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं तथा पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचारार्थ होंगे, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा का आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरा कर चुके हों और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पिछले मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के तहत केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद आठ साल की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र. : अध्यक्ष</li> <li>2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>3 वरि. क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 परिवहन प्रभारी : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</li> </ol> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	<p>लागू नहीं</p>

<p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 33.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Light Vehicle Driver-B (Level-4) in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Light Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Light Vehicle Driver-B (LVD-B)</b>	90* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) Promotion:</b> Light Vehicle Drivers – A in Level-2 in the Pay Matrix with a minimum of 8 years' regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> The eligibility service for promotion to the post of Light Vehicle Drivers – B in Level-4 shall continue to be five (5) years for persons holding the feeder post i.e. Light Vehicle Drivers – A in Level-2 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Note-2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</li> <li>2 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member</li> <li>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>4 Transport In-charge : Member</li> <li>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</li> </ol>	Not Applicable

<p>considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p><u>(i) From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with eight years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix.</p> <p><u>(ii) Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with eight years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 34.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति,

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) के समूह 'ग', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ लघु वाहन चालक - ए (वरि. एल.वी.डी.-ए)	105* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5  (₹29200-92300)	गैर-चयन

	की शर्त पर			
--	------------	--	--	--

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ लघु वाहन चालक 'बी' पदधारी।</p> <p><b>नोट-1:</b> मौजूदा लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) को वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) 4 वर्ष पर या लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) में न्यूनतम 2 वर्षों के साथ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-2) और लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) पर विचार किया जाएगा।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b> <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के समूह- ग के पदधारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वरि. प्रधान/प्रधान, का. व सा. प्र. : अध्यक्ष</li> <li>वरि. लेखा अधिकारी/ आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>परिवहन प्रभारी : सदस्य</li> <li>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक) : सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

<p>धारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 34.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Light Vehicle Driver-A (Level-5) in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Light Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Light Vehicle Driver-A (Sr. LVD-A)	105* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-5 (Rs. 29200- 92300) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<b>a) Promotion:</b> Light Vehicle Driver 'B' in Level 4 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years' regular service in the post. <b>Note-1:</b> Existing Light	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member	Not Applicable

<p>Vehicle Driver-B (Level-4) will be considered for Senior Light Vehicle Driver-A (Level-5) on completion of 4 years or combined service of 9 years in Light Vehicle Driver-A (Level-2) and Light Vehicle Driver-B (Level-4) with minimum of 2 years in Light Vehicle Driver-B (Level-4).</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p><u>(i) From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p><u>(ii) Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	<p>4 Transport In-charge : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	
---	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 35.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वरिष्ठ लघु वाहन चालक-बी (स्तर-6) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

- लघु शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ लघु वाहन चालक-बी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ लघु वाहन चालक - बी (वरि. एल.वी.डी.-बी)	17* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
------------------------	---	---

सीमा		
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में न्यूनतम 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ लघु वाहन चालक 'ए' पदधारी। <b>नोट-1:</b> मौजूदा वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) को 3 वर्ष पूरा करने पर वरिष्ठ लघु वाहन चालक-बी (स्तर-6) हेतु विचार किया जाएगा।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b> <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद छ: वर्षों की नियमित सेवा की हो। <b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। <b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त की अनुपस्थिति में कोई एक)</li> <li>2 वरि. प्रधान/प्रधान, का. व सा. प्र. : सदस्य</li> <li>3 वरि. लेखा अधिकारी/आ.वि.स. : सदस्य</li> <li>4 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>5 परिवहन प्रभारी : सदस्य</li> <li>6 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</li> </ol>	लागू नहीं

और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 35.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Light Vehicle Driver-B (Level-6), in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Light Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Senior Light Vehicle Driver-B (Sr. LVD-B)</b>	17* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.	

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) Promotion:</b> Senior Light Vehicle Drivers – A in Level-5 in the Pay Matrix with a minimum of 6 years' regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> Existing Senior Light Vehicle Drivers – A (Level-5) will be considered for Senior Light Vehicle Drivers – B (Level-6) on completion of 3 years.</p> <p><b>b) Deputation:</b> <u>(ii) Officials from Central Services under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above) : Chairperson</li> <li>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</li> <li>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</li> <li>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>5 Transport-in-charge : Member</li> <li>6 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</li> </ol>	Not Applicable

<b>Note-3:</b> The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
---	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 36.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भारी वाहन चालक -ए. (स्तर-2) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारी वाहन चालक-ए. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता** - ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

**अथवा**

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
भारी वाहन चालक-ए (एच.वी.डी.-ए.)	89* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (रु. 19900-63200)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
<p>सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)।</p> <p><b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p> <p><b>नोट-2:</b> उन पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार</p>	<p>मैट्रिकुलेशन/एस.एस.सी./एस.एस.एल.सी. या समकक्ष</p> <p><b>अनुभव:</b> 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें से भारी वाहन चालक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा शेष अवधि का अनुभव लघु मोटर वाहन चलाने का होना चाहिए।</p> <p>अभ्यर्थी के पास एच.वी.डी. लाइसेंस तथा लोक सेवा बैज, यदि वैधानिक हो, अवश्य होना चाहिए।</p> <p>यदि किसी राज्य में लोक सेवा बैज अनिवार्य नहीं है, तो ऐसे राज्य/राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को, यदि उन्हें ऐसे राज्य/राज्यों में नियुक्त किया जाता है जहाँ यह अनिवार्य है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 3 माह के भीतर यह आवश्यकता पूरी करनी होगी।</p> <p><b>नोट-1:</b> निर्धारित कुल अनुभव केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का ही होना चाहिए।</p> <p><b>नोट-2:</b> अनुभव प्रमाण-पत्र केवल सरकारी / अर्ध-सरकारी संस्थाओं / पंजीकृत कंपनियों / समितियों / न्यासों आदि द्वारा जारी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।</p> <p><b>नोट-3:</b> अंशकालिक अनुभव को अनुभव के वर्षों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।</p>

कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	<b>नोट-4:</b> यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक अर्हता, अनुभव तथा लोक सेवा बैज होना चाहिए।
--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्त / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र. 2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 परिवहन प्रभारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 36.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Heavy Vehicle Driver-A (Level-2) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Heavy Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;
- OR**
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Heavy Vehicle Driver-A (HVD-A)</b>	89* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-2 (Rs. 19900- 63200) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
<p>18 to 35 years for General (Unreserved) Candidates</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note-2:</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to</p>	<p>Matriculation/SSLC/SSC or equivalent</p> <p><b>Experience:</b> 5 years' experience, out of which minimum 3 years as Heavy Vehicle Driver and the balance period driving experience of light motor vehicle.</p> <p>Must possess HVD license and Public Service Badge, if statutory</p> <p>In case Public Service Badge is not mandatory in any State, candidates from such State(s) should meet this requirement within 3 months of joining the post, if they are posted to such State(s) where it is mandatory.</p> <p><b>Note-1:</b> Total prescribed experience should be after obtaining valid Driving License.</p> <p><b>Note-2:</b> Experience Certificate should only be from the Government / Semi-Government Agencies / Registered Companies / Societies / Trusts, etc. Experience Certificate from individuals will not be accepted.</p> <p><b>Note-3:</b> Part time experience will not be considered for calculation of number of years of experience.</p> <p><b>Note-4:</b> It is mandatory that the candidate should possess the</p>

submit the names.	requisite qualification, experience and requirement of Public Service Badge as on the last date of the application.
-------------------	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One Year	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 37.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भारी वाहन चालक-बी. (स्तर-4) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारी वाहन चालक-बी. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

**अथवा**

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
भारी वाहन चालक-बी. (एच.वी.डी.-बी.)	89* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (रु. 25500- 81100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
-------------------------------	--

<b>9</b>	<b>10</b>
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<p><b>पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों से की जानी चाहिए</b></p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए</p>
<p><b>क) पदोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में भारी वाहन चालक-ए. पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी।</p> <p><b>नोट-1:</b> स्तर-4 में भारी वाहन चालक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा, इन नियमों की अधिसूचना के तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पद अर्थात् स्तर-2 में भारी वाहन चालक-ए. का पद धारण करने वाले कर्मचारियों हेतु 05 वर्ष जारी रहेगी।</p> <p><b>नोट-2:</b> जहाँ कनिष्ठ कर्मचारी अपनी अर्हता सेवा पूर्ण करने के बाद पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण की हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो। पूर्व के मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिममें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र.</li> <li>2 व. लेखा अधिकारी/ : सदस्य आं.वि.स.</li> <li>3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 परिवहन प्रभारी : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</li> </ol>	<p>लागू नहीं</p>

<p>में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 37.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Heavy Vehicle Driver-B (Level-4) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Heavy Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;  
**OR**  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5

<b>Heavy Vehicle Driver-B (HVD-B)</b>	89* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix	Non-Selection
---------------------------------------	---	--	---	---------------

<b>Age limit for direct recruits</b>	<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>	<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.</b>
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

<b>Period of probation, if any</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.</b>
<b>9</b>	<b>10</b>
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

<b>In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?</b>	<b>Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<p><b>a) Promotion:</b></p> <p>Heavy Vehicle Drivers – A in Level-2 in the Pay Matrix with a minimum of 8 years' regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> The eligibility service for promotion to the post of Heavy Vehicle Drivers – B in Level-4 shall continue to be five (5) years for persons holding the feeder post i.e. Heavy Vehicle Drivers – A in Level-2 on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Note-2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</p> <p>2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>4 Transport In-charge : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority)</p>	Not Applicable

<p>promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>b) with eight years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 38.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए (स्तर-5) के समूह 'ग', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

- लघु शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन

मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ भारी वाहन चालक - ए (वरि. एच.वी.डी.-ए)	103* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200-92300)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
----------------------------	---

<b>9</b>	<b>10</b>
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।</p>
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b>  वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ भारी वाहन चालक 'बी' पदधारी।  <b>नोट-1:</b> मौजूदा भारी वाहन चालक-बी (स्तर-4) को 4 वर्ष या भारी वाहन चालक-बी (स्तर-4) में न्यूनतम 2 वर्षों के साथ भारी वाहन चालक-ए (स्तर-2) और भारी वाहन चालक-बी (स्तर-4) में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए (स्तर-5) के लिए विचार किया जाएगा।  <b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b>  केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के समूह-ग के पदधारी:  क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी;  या  ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।  <b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।  <b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  <b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 वरि. प्रधान/प्रधान, का. व : अध्यक्ष सा. प्र.</li> <li>2 वरि. लेखा अधिकारी/ : सदस्य आ.वि.स.</li> <li>3 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>4 परिवहन प्रभारी : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)</li> </ol>	<p>लागू नहीं</p>

लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
----------------------------	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 38.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Heavy Vehicle Driver-A (Level-5) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Heavy Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Heavy Vehicle Driver-A (Sr. HVD-A)	103* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-5 (Rs.29200- 92300) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in
-------------------------------	--	---

	recruits	the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) Promotion:</b></p> <p>Heavy Vehicle Driver 'B' in Level 4 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years' regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> Existing Heavy Vehicle Drivers-B (Level-4) will be considered for Senior Heavy Vehicle Drivers-A (Level-5) on completion of 4 years or combined service of 9 years in Heavy Vehicle Drivers-A (Level-2) and Heavy Vehicle Drivers-B (Level-4) with minimum of 2 years in Heavy Vehicle Drivers-B (Level-4).</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> The period of deputation shall</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</li> <li>2 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member</li> <li>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>4 Transport In-charge : Member</li> <li>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</li> </ol>	Not Applicable

be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 39.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी (स्तर-6) के समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

**अथवा**

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति** – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी	16*	सामान्य केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6	गैर-चयन

(व. एच.वी.डी.-बी)	*(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सेवाएं समूह 'ख' (गैर-राजपत्रित)	(रु. 35400- 112400)
-------------------	--	---------------------------------	---------------------

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों से की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए. पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी।</p> <p><b>नोट-1:</b> वर्तमान वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए. (स्तर-5) को 3 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी. (स्तर-6) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी:</u></p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी;</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/ निदेशक (प्र.से.)/प्रधान (प्र.से.)/ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी के भी उपस्थित न रहने पर) : अध्यक्ष</li> <li>व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य</li> <li>व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>परिवहन प्रभारी : सदस्य</li> <li>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा/ महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक) : सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

<p>या</p> <p>ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।</p>	
--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 39.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Heavy Vehicle Driver-B (Level-6) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Heavy Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing,

exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Senior Heavy Vehicle Driver-B (Sr. HVD-B)</b>	16* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.															
11	12	13															
<p><b>a) Promotion:</b> Senior Heavy Vehicle Drivers – A in Level-5 in the Pay Matrix with a minimum of 6 years' regular service in the post. <b>Note-1:</b> Existing Senior Heavy Vehicle Drivers – A (Level-5) will be considered for Senior Heavy Vehicle Drivers – B (Level-6) on completion of 3 years.</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of:</p> <table> <tr> <td>1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above)</td> <td>:</td> <td>Chairperson</td> </tr> <tr> <td>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA</td> <td>:</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>3 Sr. Accounts Officer/ IFA</td> <td>:</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>4 Sr. Purchase &amp; Stores Officer</td> <td>:</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>5 Transport-in-charge</td> <td>:</td> <td>Member</td> </tr> </table>	1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above)	:	Chairperson	2 Sr. Head/Head, P&GA	:	Member	3 Sr. Accounts Officer/ IFA	:	Member	4 Sr. Purchase & Stores Officer	:	Member	5 Transport-in-charge	:	Member	Not Applicable
1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above)	:	Chairperson															
2 Sr. Head/Head, P&GA	:	Member															
3 Sr. Accounts Officer/ IFA	:	Member															
4 Sr. Purchase & Stores Officer	:	Member															
5 Transport-in-charge	:	Member															

<p><b>b) Deputation:</b>  <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u>  a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department;  or  b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix.  <b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.  <b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.  <b>Note-3:</b> The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	6 Mandatory Representatives(SC/ST : Member / Women / PWD / Minority)	
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 40.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-6) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:-

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता-** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर,** इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति,  
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जे.टी.ओ)	28* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष <b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री;  या अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री;  या हिंदी माध्यम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में ;  या अंग्रेजी माध्यम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या

	<p>वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में ;</p> <p>या</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री, तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी रही हो या दोनों विषयों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो;</p> <p>तथा</p> <p>हिंदी से अंग्रेजी और विपरीततः में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो साल का अनुभव।</p> <p>कंप्यूटर प्रयोग में दक्षता।</p>
--	--

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	<p>समूह 'ख' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं:</p> <p>1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष</p> <p>2 वरि. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य</p> <p>3 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</p> <p>4 उप निदेशक (रा.भा.) : सदस्य</p> <p>5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</p> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 40.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Junior Translation Officer (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely :-

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Junior Translation Officer Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Junior Translation Officer (JTO)</b>	28* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates <b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed	Master's degree from any recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;  OR Master's degree from any recognized University in English with Hindi

<p>for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>Recognized Diploma or Certificate course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government Office, including Government of India undertakings.</p> <p>Proficiency in use of computers</p>
---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	<p>Group 'B', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of :</p> <p>1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.) / Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Deputy Director (OL) : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 41.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-7) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :-

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति,  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (एस.टी.ओ)	14* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)	गैर-चयन

	परिवर्तन की शर्त पर		
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा	
6	7	8	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।		
9	10		
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति:</b></p> <p>पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-6)।</p> <p><b>नोट-1:</b> डीपीसी समीक्षा उद्देश्य हेतु इसरो मुख्यालय द्वारा सभी पदों के लिए एक साझा वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।</p> <p><b>नोट-2:</b> अब से, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी पर पदोन्नति स्थानान्तरण उत्तरदायित्व के साथ केंद्रीकृत होगी तथा इसरो मु. द्वारा डीपीसी संचालित की जाएगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> जहां कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों की भांति अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ होंगे, बशर्ते वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हों तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हों। विगत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति में (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) शामिल हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/ निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.)/ नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष</li> <li>2 वरि. प्रधान/प्रधान, का.एवं सा.प्र. : सदस्य</li> <li>3 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>4 उप निदेशक (रा.भा.) : सदस्य</li> <li>5 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक) : सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

<p><b>ख) प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>(i) अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदाधिकारियों में से:</p> <p>क) नियमित आधार पर सदृश पदधारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में सदृश संवर्ग में पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह 'ख' के कर्मचारी:</p> <p>क) नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पदधारित कर्मचारी; या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में समान संवर्ग में पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 41.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Translation Officer (Level-7) in the Indian Space Research Organisation, namely :-

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Translation Officer Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living  
**OR**  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :  
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Translation Officer (STO)	14* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted.	Level-7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) <b>Promotion:</b> Junior Translation Officer (Level-6) with 5 years' of regular service in the post. <b>Note-1:</b> A common seniority list	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of; 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.) / Appointing Authority(in the absence : Chairperson	Not Applicable

<p>for all posts will be maintained by ISRO Headquarters for DPC review purpose.</p> <p><b>Note-2:</b> Henceforth, Promotion to Senior Translation Officer will be centralized with transfer liability and DPC will be conducted by ISRO HQ.</p> <p><b>Note-3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p>(i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u></p> <p>a) holding the analogous post on regular basis; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix</p> <p>ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	<p>of any one of the above)</p> <p>2 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Member</p> <p>3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>4 Deputy Director (OL) : Member</p> <p>5 Mandatory Representatives(SC/ST / Women / PWD / Minority) : Member</p>	
---	---	--

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 42.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में केटरिंग पर्यवेक्षक (स्तर-6) के समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, केटरिंग पर्यवेक्षक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या**, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

#### अथवा

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
केटरिंग पर्यवेक्षक	14* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400- 112400)	लागू नहीं

पर।			
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं		
6	7		
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच <b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए यह निर्धारित अंतिम तिथि)।	<p>एक वर्ष के अनुभव के साथ, होटल प्रबंधन; या होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी; या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन; या केटरिंग विज्ञान एवं होटल प्रबंधन में डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>3 वर्षों के अनुभव के साथ केटरिंग में डिप्लोमा।</p> <p>अथवा</p> <p>2 वर्षों के अनुभव के साथ होटल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>औद्योगिक कैंटीन या 300 से अधिक व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने वाले एक स्थापित होटल में पर्यवेक्षीय क्षमता में अनुभव होना चाहिए।</p> <p>अभ्यर्थियों में अत्याधुनिक रसोई उपकरणों का उपयोग करके उन्नत श्रेणी की कैंटीन सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए।</p> <p>संबद्ध शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात का अनुभव होना चाहिए।</p>		

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	<p>समूह 'ख', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष</li> <li>वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य</li> <li>प्रधान, सी एवं जी.एच.एस. : सदस्य</li> <li>वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

	5 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी	: सदस्य	
	6 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	: सदस्य	

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 42.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Catering Supervisor (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Catering Supervisor Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Catering Supervisor</b>	14* *(2025) Subject to variation depending	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in	Not Applicable

	on workload		the Pay Matrix	
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		
6		7		
18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates  <b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Degree in Hotel Management; or Hotel Management & Catering Technology; or Hospitality & Hotel Administration; or Catering Science & Hotel Management; with One-year experience.  OR  Diploma in Catering with 3 years' experience.  OR  Post Graduate Diploma in Hotel Management with 2 years' experience.  The experience should be in supervisory capacity in an Industrial canteen or an established Hotel catering to more than 300 persons.  Candidates should be capable of providing top grade canteen services using modern state of the art kitchen equipments.  The experience should be after obtaining the relevant educational qualification.		

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'B', Departmental Selection/Confirmation Committee, consisting of :  1 Chief Controller/Controller/ Director (A.S.)/Head (A.S.)/ Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson  2 Sr. Head / Head, P&GA : Member  3 Head, C&GHS : Member  4 Sr. Accounts Officer/IFA : Member  5 Sr. Purchase & Stores Officer : Member  6 Mandatory Representatives(SC/ ST/Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 43.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सहायक केटरिंग प्रबंधक (स्तर-8) के समूह 'ख', राजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सहायक केटरिंग प्रबंधक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या**, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

**अथवा**

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयनित या गैर-चयनित पद है
1	2	3	4	5
सहायक केटरिंग प्रबंधक	10* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (राजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹. 47600 – 151100) (ii) सहायक केटरिंग प्रबंधक के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर-9 में गैर-	चयन

		प्रकार्यात्मक चयन श्रेणी।	
सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	
6	7	8	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% योग्यता), अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>क) पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>केटरिंग पर्यवेक्षक (स्तर-6) के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p><b>नोट-1:</b> स्तर-6 में मौजूदा केटरिंग पर्यवेक्षकों को स्तर-6 में केटरिंग पर्यवेक्षक की श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सहायक केटरिंग प्रबंधक (स्तर-8) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> मौजूदा पदधारियों को तब तक पद धारण करने की अनुमति है जब तक कि वे पद रिक्त नहीं कर देते हैं या अन्यथा। प्रवेश स्तर (अर्थात् स्तर-6 में केटरिंग पर्यवेक्षक) पर रिक्त किए गए पदों के प्रति आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी।</p> <p><b>नोट-3:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की</p>	<p>समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) : अध्यक्ष /प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में)</li> <li>2 वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य</li> <li>3 प्रधान, सी एवं जी.एच.एस. : सदस्य</li> <li>4 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>5 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>6 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</li> </ol> <p>(अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	लागू नहीं

<p>अवधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><b>ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ख के पदधारी:</u></p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>(ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद छह वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों का चयन समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 43.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Assistant Catering Manager (Level-8), in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Assistant Catering Manager Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Assistant Catering Manager	10* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Gazetted)	(i) Level-8 (Rs. 47600 – 151100) in the Pay Matrix.  (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-9 on completion of 4 years' of regular service in the post of Assistant Catering Manager.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10

Nil	By promotion (100% Merit), failing which by Deputation.	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>a) By promotion:</b></p> <p>Catering Supervisor (Level-6) with 6 years of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> The existing Catering Supervisors in Level-6 will be considered for promotion to the post of Assistant Catering Manager (Level-8) on completion of 4 years of regular service in the grade of Catering Supervisor in Level-6.</p> <p><b>Note-2:</b> The existing incumbents are allowed to continue to hold the post till they vacate the post(s) or otherwise. No further recruitment shall be made against the posts vacated at induction level (i.e. Catering Supervisor in Level-6).</p> <p><b>Note-3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.</p> <p><b>b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u></p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Chief Controller / Controller/ Director (A.S.) / Head (A.S.)/ Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson</li> <li>2 Sr. Head / Head, P&amp;GA : Member</li> <li>3 Head, C&amp;GHS : Member</li> <li>4 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</li> <li>5 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>6 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member</li> </ol>	<p>Not Applicable</p>

<p>Department; or</p> <p>(b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 44.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परिचर-ए (स्तर-1) के समूह-ग, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, परिचर-ए, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

## अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन हो या चयन न हो पदा
1	2	3	4	5
परिचर-ए	178* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000 – 56900)	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्षों तक छूट दी जा सकती है)। <b>नोट-1:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या	मैट्रिक/एस.एस.एल.सी./एस.एस.सी. या समकक्ष पास	लागू नहीं है।

लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। <b>नोट-2:</b> उन पदों के संबंध में, जिनके लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं, के प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय (यों) से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।		
--	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
दो वर्ष	सीधी भर्ती/अनुकंपा नियुक्ति द्वारा <b>नोट-1:</b> अनुकंपा नियुक्तियों को भारत सरकार/अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। <b>नोट-2:</b> अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत नियुक्त एम.टी.एस. और एम.टी.एस. के पद पर भविष्य में सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों की वृत्ति प्रगति एम.ए.सी.पी.एस. के लागू प्रावधानों के अनुसार होगी।

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल हैंः 1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 44.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Gazetted post of Attendant-A (Level-1) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Attendant-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these

rules.

3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** -The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Attendant-A	178* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Between 18 to 25 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note-1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Matriculation /SSLC /SSC or equivalent pass	Not Applicable

<b>Note-2:</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.			
<b>Period of probation, if any</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.</b>		
<b>9</b>	<b>10</b>		
Two years	By direct recruitment / Compassionate appointment <b>Note-1:</b> Compassionate appointments shall be regulated as per extant orders passed by Government of India /Department of Space from time to time. <b>Note-2:</b> The career progression of MTS appointed under compassionate appointment Scheme and future direct recruitees to the post of MTS, will be as per the applicable provisions of MACPS.		

<b>In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?</b>	<b>Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Not applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives (SC/ST : Member / Women / PWD / Minority)	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 45.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परिचर-बी (स्तर-2) के समूह-ग, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, परिचर-बी, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि- उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता- कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

#### अथवा

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
परिचर-'बी'	127* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएँ, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)	गैर-चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिदृष्टि की अवधि,	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न
--------------------	---

यदि कोई।	तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में परिचर-ए, पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p><b>नोट-1:</b> विभिन्न पदनामों में सभी तत्कालीन समूह-घ कर्मचारियों को कर्मचारियों के वर्तमान स्तर के सदृश स्तर-1, 2, 3 एवं 4 में परिचर/ परिचरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> स्तर-1, स्तर-2 एवं स्तर-4 में मौजूदा परिचर/परिचरों को क्रमशः परिचर-ए, परिचर-बी एवं वरिष्ठ परिचर-बी के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।</p> <p><b>नोट 3:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अवधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी :</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:</p> <p>1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र.</p> <p>2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</p> <p>3 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</p> <p>4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य</p> <p>(अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</p>	<p>लागू नहीं</p>

<p>आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट -3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 45.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Attendant-B (Level-2) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Attendant-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Attendant-‘B’	127* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group ‘C’ (Non-Gazetted)	Level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not Applicable	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>(a) By promotion:</b></p> <p>Attendant-A in Level-1 in the Pay Matrix, with 3 years of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> All erstwhile Group-D employees in various designation will be re-designated as Attendant(s) in Level-1, 2, 3 and 4 corresponding to the present level of the employees.</p> <p><b>Note-2:</b> The existing Attendant(s) in Level-1, Level-2 and Level-4 is re-</p>	<p>Group ‘C’, Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of-</p> <p>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</p> <p>2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>4 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/Minority)</p>	Not Applicable

designated as Attendant-A, Attendant-B and Senior Attendant-B respectively.

**Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.

**(b) Deputation:**

Officials from Central Services Group-C under the Central Government:

a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

b) with three years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-1 in the pay matrix.

**Note-1:** The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.

**Note-2:** Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**Note-3:** Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 46.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ परिचर-ए (स्तर-3) के समूह-‘ग’, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ परिचर-ए, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

**अथवा**

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन हो या चयन न हो पदा
1	2	3	4	5
वरिष्ठ परिचर-ए	63* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएँ, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु.21700-69100)	गैर-चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।	
9	10	
लागू नहीं	पदोन्नति (100% वरिष्ठता) द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<p><b>(क) पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में परिचर-बी, पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p><b>नोट-1:</b> विभिन्न पदनामों में सभी तत्कालीन समूह-घ कर्मचारियों को कर्मचारियों के वर्तमान स्तर के सदृश स्तर-1, 2, 3 एवं 4 में परिचर/परिचरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> 01.07.2025 को न्यूनतम 3 वर्षों की सेवाकालीन अवधि के साथ स्तर-2 में मौजूदा पदधारियों को तत्काल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ परिचर-ए (स्तर-3) के लिए समीक्षा पर विचार किया जाएगा।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या</p> <p>बी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की गई हो।</p>	<p>समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वरि. प्रधान / प्रधान, का. : अध्यक्ष एवं सा.प्र.</li> <li>वरि.लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य</li> <li>वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</li> <li>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

<p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 46.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Attendant-A (Level-3) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Senior Attendant-A Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;  
**OR**  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post

1	2	3	4	5
<b>Senior Attendant-A</b>	63* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-3 (Rs.21700-69100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not Applicable	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>(a) By promotion:</b> Attendant-B in Level-2 in the Pay Matrix, with 3 years of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> All erstwhile Group-D employees in various designation will be re-designated as Attendant(s) in Level-1, 2, 3 and 4 corresponding to the present level of the employees.</p> <p><b>Note-2:</b> Existing incumbents in Level-2 with minimum residency of 3 years as on 01.07.2025 Review will be considered for Sr. Attendant-A (Level-3) for immediate implementation.</p> <p><b>(b) Deputation:</b> <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with three years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <p>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</p> <p>2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member</p> <p>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</p> <p>4 Mandatory Representatives(SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member</p>	Not Applicable

<p>pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>	
--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 47.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ परिचर-बी (स्तर-4) के समूह-‘ग’, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ परिचर-बी, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -  
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

**अथवा**

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी

भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयनित या गैर-चयनित पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ परिचर-‘बी’	67* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह ‘ग’ (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	गैर-चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 पर वरिष्ठ परिचर-ए, पद में 5 वर्षों की नियमित सेवा। नोट-1: विभिन्न पदनामों पर सभी	समूह ‘ग’, विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान / प्रधान, : अध्यक्ष का. एवं सा.प्र. 2 वरि. लेखा अधिकारी/ : सदस्य	लागू नहीं

<p>तत्कालीन समूह-घ कर्मचारी/कर्मचारियों का वर्तमान स्तर के सदृश स्तर-1, 2, 3 एवं 4 में परिचर/परिचरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> वरिष्ठ परिचर-ए (स्तर-3) में 1 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ परिचर-बी (स्तर-2) एवं वरिष्ठ परिचार-ए (स्तर-3) में 6 वर्षों की संयुक्त सेवा पर वरिष्ठ परिचर-बी (स्तर-4) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p><b>नोट-3:</b> स्तर-1, स्तर-2 एवं स्तर-4 में मौजूदा परिचरों को क्रमशः परिचर-ए, परिचर-बी एवं वरिष्ठ परिचर-बी के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।</p> <p><b>(ख) प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p><u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u></p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी;</p> <p>या</p> <p>(ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की गई हो।</p> <p><b>नोट-1:</b> प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का चयन समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।</p> <p><b>नोट-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>नोट-3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p>	<p>आं.वि.स.</p> <p>3 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य</p> <p>4 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./ अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य</p>	
---	---	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

**G.S.R. 47.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Gazetted post of Senior Attendant-B (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Senior Attendant-B Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

**OR**

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
<b>Senior Attendant-'B'</b>	67* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Not Applicable	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation.	
In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>(a) By promotion:</b></p> <p>Senior Attendant-A in Level-3 in the Pay Matrix, with 5 years of regular service in the post.</p> <p><b>Note-1:</b> All erstwhile Group-D employees in various designation will be re-designated as Attendant(s) in Level-1, 2, 3 and 4 corresponding to the present level of the employees.</p> <p><b>Note-2:</b> Combined service of 6 years in Attendant-B (Level-2) and Senior Attendant-A (Level-3) with minimum service of 1 year in Senior Attendant-A (Level-3) will be considered for promotion to the post of Senior Attendant-B (Level-4).</p> <p><b>Note-3:</b> The existing Attendant(s) in Level-1, Level-2 and Level-4 is re-designated as Attendant-A, Attendant-B and Senior Attendant-B respectively.</p> <p><b>(b) Deputation:</b></p> <p><u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u></p> <p>a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sr. Head/Head, P&amp;GA : Chairperson</li> <li>2 Sr. Accounts Officer / IFA : Member</li> <li>3 Sr. Purchase &amp; Stores Officer : Member</li> <li>4 Mandatory Representatives(SC/ST/Women / PWD / Minority) : Member</li> </ol>	<p>Not Applicable</p>

<p>basis in Level-3 in the pay matrix.</p> <p><b>Note-1:</b> The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.</p> <p><b>Note-2:</b> Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-3:</b> Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.</p>		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.